न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 24/2021 — दायर दिनाँक 02.02.2021

वादीगण

1. सांवताराम पुत्र लूणाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र लूणाराम
3. श्रवणराम पुत्र लूणाराम समस्त जाति गूर्जर निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. लूणाराम पुत्र जवाराराम
2. ओमप्रकाश पुत्र लूणाराम
3. श्रवणराम पुत्र लूणाराम समस्त जाति गुर्जर निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
बंटवारा एवं घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 13.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 02 व 03 प्रतिवादी सं0 01 लूणाराम के पुत्र व पुत्रियां है। प्रतिवादी सं0 01 के खातेदारी का खेत खसरा सं0 732 रकबा 1.7400 हैक्टे0, खसरा सं0 809 रकबा 3.5900 हैक्टे0 वाकै शरहद मण्डाबासनी, पटवार हल्का दादूबासनी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि उपरोक्त खसरा सं0 की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवारा हो चूका है तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार वादीगण अपने सम्भावित हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि पर शुरू से लेकर आज तक निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है तथा बिना किसी रोक टोक के अपनी भूमि का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।

यह है क उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/दादा जवाराराम के नाम की होने पैतृक भूमि है। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवारा हो चूका है तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक के उपरोक्त खसरा में से 1/7 भूमि हक हिस्से में आयी है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि खेत खसरा सं0 732 रकबा 1.7400 हैक्टे0, खसरा सं0 809 रकबा 3.5900 हैक्टे0 वा[illegible] का बंटवारा [illegible] मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर पैतृक भूमि होने [illegible] राधिकारी अधिनियम के तहत वादीगण व प्रति[illegible] भूमि आयी है जिसकी वादीगण व प्रति[illegible] पृथक [illegible] खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। इस आशय की डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01, 02, 03 का इकबालिया जबाब पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 04 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मण्डाबासनी के खेत खसरा सं0 732 रकबा 1.7400 हैक्टे0 व खसरा सं0 809 रकबा 3.5900 भूमि की में वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 प्रत्येक के हिस्से 1/7 भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 की पृथक–पृथक खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.04.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **24/2021** दायर दिनाँक **02.02.2021**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सांवताराम पुत्र लूणाराम 2. ओमप्रकाश पुत्र लूणाराम 1. श्रवणराम पुत्र लूणाराम समस्त जाति गूर्जर निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. लूणाराम पुत्र जवाराराम 2. ओमप्रकाश पुत्र लूणाराम 3. श्रवणराम पुत्र लूणाराम समस्त जाति गुर्जर निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **13.04.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके मण्डाबासनी के खेत खसरा सं0 732 रकबा 1.7400 हैक्टे0 व खसरा सं0 809 रकबा 3.5900 भूमि की में वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 प्रत्येक के हिस्से 1/7 भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 की पृथक–पृथक खातेदारी घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **13.04.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर,
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner